कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ख) अथवा उन विशिष्ट कार्पोरेशनों को अधिशासित करने वाली संविधियों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों और कार्पोरेशनों के अभिलेखों तथा लेखाओं की नमूना-जांच के महत्वपूर्ण परिणामस्वरूप देखे गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किए गए हैं।

2. विषयक अध्ययन की धारणा जोखिम आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए प्रणाली आधारित गुणवत्ता लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग को शिफ्ट करने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू की गई थी। इस प्रतिवेदन में 16 मंत्रालयों/ विभागों के अधीन 44 पीएसयूज से संबंधित 15 विषय आधारित आपत्तियां तथा 49 पृथक लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं। आपत्तियों के प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में पीएसयूज काम कर रहे हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रत्येक मामले में उनका उत्तर/टिप्पणी देने का अवसर प्रदान करने के लिए भेजे गए थे। इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने तक 34 आपत्तियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। इससे पूर्व, आपत्तियों के प्रारूप संबंधित पीएसयूज के प्रबंधन को भेजे गए थे और इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय उनके उत्तरों पर विचार किया गया था।

3. इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयूज से संबंधित हैं :

मंत्रालय/ विभाग (पीएसयूज यहां शामिल किए गए साक्षेउ . की कुल संख्या)	पैराग्राफों की संख्या	विषयक अध्ययनों की संख्या	उन पैराग्राफों/विषयक अध्ययनों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था
1. परमाणु ऊर्जा (ईसीआईएल, एनपीसीआईएल)	2	-	1
2. नागर विमानन (एआईएल, एएएसएल, एएआई)	4	1	5
3. कोयला (एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल)	2	-	-
4. वाणिज्य एवं उद्योग (एसटीसीएल)	1	-	-
5. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (बीएसएनएल, एमटीएनएल)	4	1	3
6. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (सीडब्ल्यूसी, एफसीआई)	3	-	2

7. रक्षा (बीईएल, एचएएल)	2	-	1
8. वित्त (जीआईसीएल, एनआईसीएल, एनआईएसीएल, ओआईसीएल, यूआईआईसीएल)	4	2	2
9. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम (बीएचईएल, एनएससीएफडीसी, एनबीसीएफडीसी, एनएसटीएफडीसी, एनएफडीसी, एनआरडीसी)	3	1	3
10. खान (नालको)	1	1	2
11. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (बॉमर एंड लॉरी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सीपीसीएल, गेल , ओएनजीसी)	10	1	5
12. ऊर्जा (बीपीएससीएल, डीवीसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, आरजीपीपीएल)	4	2	1
13. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	3	1	4
14. जहाजरानी (डीसीआईएल, एससीआईएल)	1	2	3
15. इस्पात (केआईओसीएल, आरआईएनएल, सेल)	5	2	1
16. कपड़ा (बीआईसीएल)	-	1	-
जोड़	**49**	**15**	**34**

4. 15 विषयक अध्ययनों में शामिल की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 1646.21 करोड़ था

5. इस प्रतिवेदन में शामिल की गई पृथक लेखापरीक्षा आपत्तियां मोटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप की हैं।

- ❖ नियम, निर्देश, पद्धतियाँ तथा ठेके की शर्तें आदि का पालन न करना जिनमें 11 पैराओं में ₹ 858.66 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ संगठनों के वित्तीय हितों की रक्षा न करना जिनमे 20 पैराओं में ₹ 543.14 करोड़ की राशि शामिल है
- ❖ दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण योजना जिसमें 15 पैराओं में ₹ 1350.55 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण मॉनीटरिंग जिसमें एक पैरे में ₹ 15.52 करोड़ की राशि शामिल है।
- ❖ उद्देश्य प्राप्त न होना/आंशिक रूप से प्राप्त होना जिसमें दो पैराओं में ₹ 275.94 करोड़ की राशि शामिल है।

6. प्रतिवेदन में 11 पीएसयूज द्वारा की गई ₹ 83.83 करोड़ की वसूलियों से संबंधित एक पैरा तथा लेखापरीक्षा के कहने पर चार पीएसयूज द्वारा संशोधनों/परिशोधनों से संबंधित एक अन्य पैरा भी शामिल है।

II रिपोर्ट में शामिल महत्वर्पूण पैराग्राफों की मुख्य बातें निम्नवत हैः

एसपीवीज के माध्यम से बीओटी आधार पर देश में प्रमुख पत्तनों के लिए चार मार्गी सम्बद्धता उपलब्ध कराने के लिए दिसम्बर 2000 में अनुमोदन प्रदान करते समय (सीसीईए) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मार्च 2002 तक पीआरसी परियोजनाओं के लिए ठेका देने का निदेश दिया था। तदनुसार, इन परियोजनाओं के ठेका देने की 2-3 वर्षों की अवधि के अन्दर पूरा होने की आशा थी। तथापि, एनएचएआई/एसपीवीज ने इन परियोजनाओं के समय से कार्यान्वयन के लिए सामूहिक/नीतिगत योजना तैयार नहीं की। एसपीवीज के गठन और ठेका देने मे विलम्ब विभिन्न परियोजनाओं में देखा गया था। परिणामतः कोई परियोजना नियत पूर्णता तारीख तक पूरी नहीं हुई थीं। कुल नौ परियोजनाओं में से केवल चार अभी तक 12 माह से (जेएनपीटी चरण-1) 53 माह (कोचीन) तक के बीच विलम्ब के साथ पूरी हुई थी और शेष पांच परियोजनाएं अभी तक पूरी की जानी थी (दिसम्बर 2011)। मोरमुगाव और कोचीन पत्तनों में पत्तन छोर पर क्रमशः 1.8 किमी और 10 किमी की सड़क पट्टी का उन्नयन सम्बंधित डीपीआर्स में इन पट्टियों के शामिल न करने के कारण नहीं किया जा सका। इस प्रकार, मोरमुगाव और कोचीन पत्तनों के लिए अपग्रेडेड सड़क सम्बद्धता स्थापित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, एसपीवीज के अप्रभावी पथकर संग्रहण प्रचालनों के कारण पथकर संग्रहण या तो विलम्ब से अथवा बंद कर दिया गया था और एसपीवीज को ₹ 127.68 करोड़ की राजस्व हानि हुई। पीआरसी परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के कारण पथकर राजस्व की संभावित हानि ₹ 873.85 करोड़ बनती थी (दिसम्बर 2011)।

(पैरा संख्या 13.1)

इष्टतम उतराई लागत पर आयातित कोयले की आपूर्तियों से संबंधित ठेकागत शर्तों को लागू न करने के कारण एनटीपीसी लिमिटेड को अनुकूल मार्गों से इतर मार्गों के माध्यम से कोयले की आपूर्तियों पर 2008-2011 के दौरान ₹ 698.81 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा था।

(पैरा संख्या 12.4)

ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने इर्डा अनुदेशों रि.. इंश्योरेंस कार्यक्रम और इंश्योरेंस सिद्धांतों के उल्लंघन में क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसियां जारी की। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षको की नियुक्ति, सर्वेक्षण रिपोर्टों की प्राप्ति और दावों के संसाधन मे काफी विलम्ब हुआ था जिसके कारण 2005-06 से 2009-10 वर्षों के दौरान ₹ 399.24 करोड़ तक मै. पैरामांडट एयरवेज के लाभ के लिए कम्पनी द्वारा अतिरिक्त बीमा सुरक्षा दी गई। बैंकों के दावे के संसाधन और अंतिम रूप देने में अनुचित विलम्ब के साथ इर्डा अनुदेशों का घोर उल्लंघन कम्पनी के अन्तर्गत उचित व्यवस्थापरक नियंत्रणों के अभाव का सूचक था और कम्पनी की ओर से कई कार्यविधिक एवं वास्तविक अनियमितताओं के तथ्य को ध्यान में रख कर पीएपीएल, बैंक और कम्पनी के बीच गठजोड़ से इनकार नहीं किया जा सकता।

(पैरा संख्या 8.5)

गेल (इंडिया) लिमिटेड तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के ग्रिड के माध्यम से वाणिज्यिक दरों पर अपने उपभोक्ताओं के लिए विद्युत का उत्पादन और आपूर्ति कर रहे अपात्र उपभोक्ताओं को मंत्रालय के निर्देशों के विचलन में आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की। इसके कारण अप्रैल 2006 से मार्च **2011** तक की अवधि के गैस पूल खाते में ₹ 246.16 करोड़ की कम वसूली, ऐसे उत्पादकों को उतना ही अनुचित लाभ हुआ और आर्थिक सहायता प्राप्त/एपीएम गैस के पात्र उपभोक्ता इससे वंचित रहे।

(पैरा संख्या 11.5)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम में अपने तीन मिलियन टन इस्पात संयत्र में इस्पात का उत्पादन करता है और इसका निजी विपणन ढांचा है। टर्नओवर मुख्यतः घरेलू बाजार से है जिसमें कम्पनी द्वारा नियत मासिक प्रचालन कीमतों के आधार पर सामान्य बिक्री, ई-नीलामी बिक्री और वार्ता पर तय बिक्री सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा ने बढ़ते आधार के बजाय स्लैब आधार पर छूटों के स्थानान्तरण के कारण कम्पनी द्वारा प्रचालित प्रोत्साहन योजनाओं में संरचनात्मक कमियां देखी। परिणामस्वरूप, ₹ 33.93 करोड़ की छूट का स्थानान्तरण क्रेताओं को अधिक हुआ था।

लेखापरीक्षा में पुनः सामान्य बिक्री के वास्तविक बिक्री प्रचालन जैसे उत्पादों की बाजार कीमत से कम पर बिक्री, कीमतों का संशोधन लागू करने में विलम्ब, अनुवर्ती दिन को प्रभावी प्रेषणों पर पूर्व-संशोधित कीमतें लागू करना और पूर्णव्यापी प्रभाव से कीमत कटौती देने में कतिपय कमियां देखी गई। परिणामतः, कम्पनी को ₹ 137.72 करोड़ तक राजस्व की हानि हुई।

कम्पनी में वार्ता वाली विक्री के लिए कोई पद्धति नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप, लागू प्रचालन कीमत से कम पर उत्पादों की विक्री के कारण ₹ 37.73 करोड़ की कम उगाही हुई। इसके अलावा गौण उत्पादों की ई-नीलामी के लिए रिजर्व कीमत नियत न करने से कम्पनी को ₹ 1.17 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा संख्या 15.3)

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड अपनी स्थान आवश्यकता का व्यापक दृष्टिकोण लेने मे विफल रहा। जून 2004 से जुलाई 2007 के दौरान कार्यालय भवन के लिए भूमि के टुकड़ों में अधिग्रहण के परिणामस्वरूप कम्पनी ने भूमि की प्रस्ताव कीमत में वृद्धि, कार्यालय भवन के निर्माण के लिए समय वृद्धि हेतु शास्ति, दो निकटवर्ती प्लाटों के लिए सड़क द्वारा अलग हुए दो प्लाटों के बदलने पर स्टैम्प ड्यूटी मे वृद्धि पर ₹ 204.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(पैरा संख्या 11.9)

केन्द्रीय भांडागार निगम ने दो से छब्बीस वर्षो तक के बीच काल बाधित बद्ध माल का निपटान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2011 तक ₹ 167.29 करोड़ की राशि के भंडारण प्रभारों की उगाही नहीं हुई।

(पैरा संख्या 6.1)

ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया पत्तनों, भारतीय नौ सेना,शिपयार्डों और अन्यों को दो प्रकार के ड्रेजरों यथा कटर सक्शन ड्रेजर्स (सीएसडीज) और ट्रेलर सक्शन हापर ड्रेजर्स (टीएसएचडीज) के माध्यम से

एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। कम्पनी द्वारा ईंधन और स्नेहकों पर किया गया व्यय कुल प्रचालन खर्चों का औसतन 39% बनता है। समीक्षा के लिए कम्पनी के स्वामित्व के सभी 10 टीएसएचडीज और किराए पर लिए गए तीन टीएसएचडीज पर ईंधन का व्यय जो ईंधन और स्नेहकों की कुल लगात का 91-98 % बनता था, के एक नमूने का चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ईंधन खपत के एमओयू प्रतिमान वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर नहीं थे। वे पूर्व वर्ष की खपत तथा बिल्डर के प्रतिमान की अपेक्षा काफी अधिक थे जिसके कारण ₹ 85.71 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। ईंधन आपूर्ति को उनकी उपलब्धि की प्रतिशतता के समानुपात में सीमित न करके भाटकित टीएसएचडीज के लिए ₹ 24.97 करोड़ की राशि के ईंधन अधिक जारी हुए।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी ने अपनी खरीद कार्यविधियों के विचलन में खुली निविदाएँ आमंत्रित किए बिना मात्र आईओसीएल से सम्पूर्ण ईंधन आवश्यकता की खरीद की। इस दोषपूर्ण पद्धति के कारण कम्पनी तय बेहतर कीमत और भुगतान शर्तों से वंचित रही और ₹ 9.98 करोड़ के अवसर की हानि उठाई। ₹ 18.66 करोड़ के ईंधन एवं स्नेहकों के निर्गम और खपत में अंतराल से आंतरिक नियंत्रण उपायों का अभाव इंगित हुआ।

ईंधन मूल्यवृद्धि दावों को करने में 10 दिनों से 319 दिनों तक विलम्ब था। इसके अतिरिक्त ईंधन मूल्यवृद्धि दावे के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के उदग्रहण के लिए कोई ठेकागत प्रावधान नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.31 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैरा संख्या 14.1)

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने खरीद आर्डर (फरवरी 2006) की तारीख से बारह महीनों के भीतर एमटीएनएल के कन्वर्जेन्ट बिलिंग एवं ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन परियोजना का निष्पादन करना स्वीकार किया। ठेका में यह अनुभव किया गया था कि प्रणाली अपेक्षा विनिर्देशनों में परिवर्तन की सम्भावना में परिवर्तन किसी अतिरिक्त वित्तीय विविक्षा के बिना कम्पनी द्वारा कार्यान्वित किए जाने थे। आईबीएम सहित विभिन्न साझेदारों के साथ सहमति ज्ञापन किए जाने के बाद कम्पनी द्वारा परियोजना के लिए बोली लगायी गई थी जिसकी सीआरएम परियोजनाओं के सिस्टम इंटीग्रेशन (एसआई) में विशेषज्ञता थी। तथापि कम्पनी आईबीएम द्वारा एसआई का निष्पादन सुनिश्चित नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त कम्पनी विक्रेताओं के साथ एमटीएनएल की भुगतान शर्तों के तद्नुरूपी बैक टू बैक भुगतान शर्तों को शामिल करने मे विफल रही। इस प्रकार विस्तार के लिए सीमित गुंजाइश के साथ नियत सुपुर्दगी समय-सूची वाली टर्नकी परियोजना के निष्पादन के लिए स्वीकार करना, आईबीएम द्वारा एसआई के निष्पादन सुनिश्चित करने की विफलता और अपने विक्रेताओं के साथ बैक टू बैक भुगतान शर्तों को शामिल करने की विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी निर्धारित समापन तारीख के पाँच वर्षों के बाद भी एमटीएनएल की उपरोक्त् परियोजना के निष्पादन में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप चार वर्षों से अधिक (मार्च 2012) के लिए ₹ 144.85 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(पैरा संख्या 7.1)

केआईओसीएल (कम्पनी) ने 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि के लिए कर्नाटक में डोनीमलाई खदानों में लौह अयस्क बुरादों की खरीद के लिए नेशनल मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ एक दीर्घकालिक करार किया (अगस्त 2005)। करार में लौह अयस्क बुरादों में 64 *प्रतिशत* की एफई मात्रा के लिए गारंटीकृत विनिर्देशन का प्रावधान था और तद्नुसार कीमत का समायोजन हुआ। ठेके के प्रावधानों के अनुसार न्यूट्रल लैबोरेटरी में जाँच किए गए अम्पायर सैंपल प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किए बिना कम्पनी द्वारा निम्नतर एफई मात्रा के साथ अयस्क की स्वीकृति के परिणामस्वरूप अप्रैल 2008 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान ₹ 23 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने बैंच मार्क के रूप में कार्य करने के लिए मार्गस्थ एवं प्रहस्तन हानियों के लिए कोई प्रतिमान नियत नहीं किया। कम्पनी ने 2005-06 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान मात्रा की कम प्राप्ति के कारण ₹ 105.24 करोड़ की हानि उठाई।

(पैरा संख्या 15.1)

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड सम्पत्तियों के मूल्यांकन और भूमि की बिक्री प्रक्रिया पर उचित सावधानी बरतने में विफल रही। कानूनी सलाह और राज्य सरकार की चेतावनियों को नजर अंदाज करते हुए क्रेताओं से पंजीकृत " बिक्री करार " प्राप्त कर भूमि बिक्री को पूरा करने में अनावश्यक जल्दबाजी की जिससे संयंत्र एवं मशीनरियों के आधुनिकीकरण के लिए निधि सृजन न करने के अलावा 2003 की बोली कीमत के बाद भी 2011 में सम्पत्तियो के मूल्य में वृद्धि के कारण कम्पनी को ₹ 109.03 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा संख्या 16.1)

फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने फार्म गेट/ मिल पॉइन्ट पर प्राप्त हुए धान के प्रति मण्डी श्रमिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जिसके परिणामस्वरूप केएमएस 2007-08 से केएमएस 2009-10 के दौरान निजी चावल मिलमालिकों को ₹ 107.95 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैरा संख्या 6.2)

रियायत करारों के अनुसार कार्य के पूरा होने में विलम्ब के लिए शास्ति की वसूली करने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण के विफल होने के परिणामस्वरूप ग्राहियों से ₹ 90.30 करोड़ की उगाही नहीं हुई और उपर्युक्त राशि पर ब्याज के प्रति ₹ 17.15 करोड़ (दिसम्बर 2011 तक) की परिहार्य हानि हुई।

(पैरा संख्या 13.2)

केआईओसीएल के लो ऐश मेटेलर्जिकल (लैम) कोक की अधिप्राप्ति के लिए ठेकाओं को इस्पात मंत्रालय की एक अधिकार प्राप्त संयुक्त समिति द्वारा मौके पर बातचीत के माध्यम से अन्तिम रूप दिया गया था। वैश्विक बाजार में बढ़ती हुई कोक कीमतों से ईसीजी की दो बैठकों को आयोजन फरवरी 2008 और जून 2008 में किया गया था। फरवरी 2008 और जून 2008 में आयोजित ईजेसी बैठकों के लिए आठ और पाँच शिपमेंट की अनुमानित आवश्यकता के प्रति कम्पनी ने क्रमशः दो शिपमेंट और तीनशिपमेंट के लिए आदेश भेजा। तीनशिपमेंट के स्टॉक के लिए भण्डारण क्षमता होने के बावजूद फरवरी 2008 में आयोजित ईजेसी बैठक के दौरान प्रस्तावित कम दरों पर लैम कोक के तीसरे शिपमेंट के प्राप्त न करने का निर्णय लेने के परिणामस्वरूप ₹ 54.85 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके

अतिरिक्त, उचित मालसूची प्रबन्धन के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 32.41 करोड़ मूल्य के 9,144.153 मि. ट. लैम कोक की कमी हुई जिसके लिए कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया था और बट्टे खाते डालने का अनुमोदन उचित औचित्य पर आधारित नहीं था।

(पैरा संख्या 15.2)

लोकल लूप प्रणाली मे मोबाइल स्वीचिंग सेन्टर बेसड वायरलेस को बढ़ाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपस्कर की अनुचित योजना और परिणामी अधिक अधिप्राप्ति के कारण ₹ 65.51 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैरा संख्या 5.1)

31 मार्च 2011 को दी न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का कुल निवेश (लागत पर) ₹ 13,604 करोड़ रहा। इक्विटी में निवेश बाजार में कुल निवेशों का 20 *प्रतिशत* बनता था। निवेश कार्य की विशेषकर इक्विटियों में निवेश के संदर्भ में समीक्षा से बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित निवेश विनियमों के अननुपालन देखे गए थे। आगे यह भी देखा गया कि कम्पनी के पास कोई स्टॉप हानि पॉलिसी नहीं थी जिसके कारण ₹ 94.92 करोड़ के खाता मूल्य सहित 29 कम्पनियों के इक्विटी शेयरों के बाजार मूल्य इसके द्वारा धारित 25 *प्रतिशत* से अधिक और 94.75 *प्रतिशत* तक कम हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 47.02 करोड़ (मार्च 2011) की सीमा तक मूल्य का क्षरण हुआ। मैसर्स एल्फा लवल (इण्डिया) लिमिटेड जिसके शेयर का धारण कम्पनी के पास था के प्रोत्साहकों द्वारा किए गए एक खुले प्रस्ताव को स्वीकार न करने का निर्णय लेते समय निवेश पॉलिसी के अननुपालन का एक दृष्टान्त भी ध्यान में आया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.27 करोड़ के लाभ को छोड़ना पड़ा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2004 में निवेश प्रबन्धन प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के प्रारम्भ करने के बावजूद कम्पनी के पास 31 मार्च 2011 को आईआरडीए दिशानिर्देशों के अनुपालन में पूर्ण रूप से निवेश प्रबन्धन प्रणाली नहीं थी।

(पैरा संख्या 8.4)